जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक- प-2 (77-86) /जविप्रा/2003/ 3431 दिनांक 13-2-03

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 86वीं बैठक दिनांक 31.01.2003 का कार्यवाही विवरण।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ठ-1 पर है।

क. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	निर्धारित तिथी	अनुपालना	विशेष विवरण
1.	86.1 पृ.1-5	ए. कार्यकारी समिति की 85वीं बैठक दिनांक 24.12.2002 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि। बी. कार्यकारी समिति की 85वीं बैठक दिनांक 24.12.2002 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट।	ए. कार्यकारी समिति की 85वीं बैठक दिनांक 24.12.2002 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बी. कार्यकारी समिति की 85वीं बैठक दिनांक 24.12.2002 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कार्यकारी समिति की 84वीं बैठक के एजेण्डा सं. 84.3 तथा 84.5 के अनुपालना रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि दोनो मामले समान होने के पश्चात भी एजेण्डा सं. 84.3 की अनुपालना हो चुकी है परन्तु एजेण्डा सं. 84.5 की अनुपालना क्यो नहीं हुई है इस बाबत सचिव, जविप्रा को पत्रावली प्रस्तुत करी जावें। सचिव, जविप्रा इस संबंध में रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगे। कार्यकारी समिति की 84वीं बैठक की एजेण्डा सं. 84.12 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय अनुसार जलमहल योजना के विकास बाबत किये जा रहे कार्यो की प्रगति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष प्रकट किया गया।	निदेशक आयोजना			

क्र. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	निर्धारित तिथी	अनुपालना	विशेष विवरण
2.	86.2 पृ.6–8	तिलक इन्सटीट्यूट ऑफ एजूकेशनल डवलपमेंट (महारानी लक्ष्मी बाई उच्च प्राथमिक विधालय)की राजस्व ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 1088 रकबा 10 बिस्वा भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण पब्लिक यूटिलिटी से पब्लिक एवं सेमी पब्लिक (बालिका विधालय)किये जाने हेतु।	उक्त एजेण्डा पर समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा प्रार्थी श्री नारायणलाल को भी समिति द्वारा सुना गया। प्रार्थी ने यह निवेदन किया कि केवल 1490 वर्ग गज का भू उपयोग उपान्तरण कर दिया जावे तथा उनके द्वारा 1490 वर्ग गज भूमि के लिए पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। विचार–विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित भू उपयोग उपान्तरण यूटिलिटि से पब्लिक एवं सेमी पब्लिक (बालिका विधालय)किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि प्रार्थी द्वारा यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जावेगा कि उनके द्वारा सभी निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सैटबैक छोड़ते हुए किया जावेगा तथा टिनशेड आदि को भी हटा लिया जावेगा।	निदेशक आयोजना			
3.	86.3 पृ.9–14	बेलदार से फेरोमैन के पद पर पद परिवर्तन करने हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करने बाबत।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात बेलदार से फेरोमैन के पद पर 100 प्रतिशत सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त प्रशासन			
4.	86.4 पृ.15–16	मै. आर.बी.डी.आटोमोबाईल सर्विसेज के स्वामित्व की राजस्व ग्रम हरध्यानपुरा, तहसील सॉगानेर के खसरा नम्बर 195/2, 195/1 तथ 198 क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से क्षेत्र से वाणिज्यिक (आटोमोबाईल वर्क शॉप)किये जाने हेतु।	विचार–विमर्श पश्चात उक्त मामले को पुनःपरीक्षण हेतु स्थगित। आगामी बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया गया।	निदेशक आयोजना			

क्र. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	निर्धारित तिथी	अनुपालना	विशेष विवरण
5.	86.5 पृ.17-18	आई.आई.आई.टी.की भूमि 160 बीघा (484000 व.ग.) को इकोलोजिकल जोन से शिक्षण संस्थान हेतु भू उपयोग परिवर्तन करने बाबत।	उक्त एजेण्डा पर विचार-विमर्श पश्चात आई. आई.आई.टी. की 160 बीघा (484000व.ग.) भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल जोन से शिक्षण संस्थान हेतु परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक आयोजना			
अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-							
6.	86.6	Extension in period of Overdraft facility for development works.	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूंकि हुडको से स्वीकृत ऋण की राशि में से रूपये 25 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं हो सकी, अत: दिनांक 31.3.03 तक रूपये 25 करोड़ की ओवर ड्राफ्ट की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	निदेशक वित्त			
7.	86.7	खसरा नम्बर 33 से 36 एवं 40 से 43 रकबा 42555.38वर्ग गज (35581.72व.मी.)ग्राम सुखपुरिया तहसील सॉगानेर की कृषि भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) नियमन हेतु भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात उक्त मामले को पुन:परीक्षण हेतु स्थगित। आगामी बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8			
8.	86.8	ग्राम रामपुरारूपा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 257, 258/1, 259, 262, 263 व 265/2 कुल रकबा 5 बीघा की भूमि उपान्तरण बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात उक्त मामले को स्थगित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मामले की वैधानिक तथा तकनीकी परीक्षण करा लिया जावे एवं तत्पश्चात उक्त प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जावे।	उपायुक्त लाल कोठी			
9.	86.9	Enlistment of M/s Rajendra Singh Bhamboo In Class AA Category.	विचार-विमर्श पश्चात मैसर्स राजेन्द्र कुमार भाम्बू को ए.ए.श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजिकृत किये जाने बाबत पूर्व में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी			

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	निर्धारित तिथी	अनुपालना	विशेष विवरण
10.	86.10	जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि में की गई अभिवृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त प्रशासन			
11.	86.11	Enlistment of M/s Satya Prakash & Bros Pvt. Ltd. In Class AA Category.	विचार-विमर्श पश्चात मैसर्स सत्य प्रकाश एण्ड ब्रदर्स प्रा.लि. को ए.ए.श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजिकृत किये जाने बाबत पूर्व में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी			
12.	86.12	Approval of Tender for the work of Construction of Improvement of Tonk Road from Sitapura ROB to Sanganer Fly Over, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार निर्माणाधीन सीतापुरा रेल्वे ओवर ब्रिज से सॉगानेर फ्लाई ओवर तक टोंक रोड का निर्माण एवं सुधार कार्य के लिए मैसर्स राजेन्द्रसिंह भाम्बू द्वारा दी गई न्यूनतम निविदा दर रूपये 6,27,72,564.00 को स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियान्त्रिकी			
13.	86.13	राजस्व ग्राम करतारपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 289 में से 1218.44व.ग. क्षेत्रफल की भूमि में सड़क मार्गाधिकार तथा भूखण्ड के कौने की गोलाई के रेडियस हेतु 59.78 व.ग. भूमि काटने के पश्चात शेष 1158.66 व.ग.भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (कार्यालय एवं गोदाम)किये जाने हेतु।	उक्त एजेण्डा पर समिति द्वारा गहन विचार-विचार विमर्श किया गया तथा प्रार्थी श्री जगदीश दुआ को भी सुना गया। विचार-विमर्श पश्चात उक्त मामले को पुनःपरीक्षण हेतु स्थगित किया गया।	निदेशक आयोजना			
14.	86.14	बेलदारों से हैल्परों के पद पर परिवर्तित किये गये कर्मचारियों का हैल्पर ग्रेड-II के पद की वेतन श्रृंखला देने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात हेल्पर ग्रेड- II का वेतनमान प्रस्तावानुसार रूपये 2610-3540 किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त प्रशासन			

जयपुर विकास प्राधिकरण

क्र. सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	निर्धारित तिथी	अनुपालना	विशेष विवरण
15.	86.15	भगवान महावीर केन्सर होस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में श्री गेंदी लाल पुत्र धन्ना, बागवान का केन्सर उपचार हेतु स्वीकृति बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्री गेंदीलाल पुत्र धन्ना बागवान द्वारा भगवान महावीर केन्सर होस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में पूर्व में व्यय किये गये बिल राशि रूपये 5,713/- के पुनर्भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई तथा विशेष परिस्थितियों को देखते हुये भविष्य में भी उन्हें भगवान महावीर केन्सर होस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में पूर्ण रूप से उपचार होने तक ईलाज करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा स्वीकृत सभी अधिकृत अस्पतालों में किये जा रहे विभिन्न जांचों की मूल्य तालिका मंगवा ली जावें एवं जो जांच रूपये 5000/- से अधिक के हों उनके न्यूनतम/अधिकतम दर के आधार पर पुर्नभुगतान की औसत दर तय करने पर विचार किया जावे।	अति. आयुक्त प्रशासन			
16.	86.16	प्राधिकरण द्वारा निजी क्षेत्रों की सम्पत्तियों की नीलामी बाबत।	उक्त एजेण्डा पर गहन विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को लागू करने से पहले वैधानिक परीक्षण करवा लिया जावे तथा योजना को लागू करने की Modalities भी तय कर ली जावे एवं तत्पश्चात प्रकरण को स्वीकृति हेतु पुनः कार्यकारी समिति में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक वित्त			
17.	86.17	Approval of Tender for Improvement of Tonk Road from Narayan Singh Circle to Sanganer Fly Over, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति द्वारा इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने हेतु जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।	निदेशक अभियान्त्रिकी			

जयपुर विकास प्राधिकरण

परिशिष्ठ–1

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 86वीं बैठक दिनांक 31.01.2003 को सायं 3.00 बजे समिति कक्ष में जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार थी:–

क्र. स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डा. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री हेमन्त गेरा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
3.	श्री पी.आर. शर्मा	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री राम बाबू गुप्ता	निदेशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री एस.ए.फारूकी	उप शासन सचिव	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री बी.के.शर्मा	उप निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री पी.आर.पंडित	अति.जिला मजिस्ट्रेट सिटी	कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री उमेश तोमर	आयुक्त मख्यालय	जयपुर नगर निगम, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री प्रवीण जैन	उप नगर नियोजक	रीको, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्री आर.पी.भटनागर	अधीक्षण अभियंता	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,जययपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
12.	श्री एस.एल.महिपाल	अधीक्षण अभियंता सिटी	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13.	सुश्री लक्ष्मी बैरवा	अति.आयुक्त प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	
14.	श्री ओ.पी.यादव	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	
15.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	
16.	श्री एस.सी.सोनी	अति.मुख्य अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।	

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक प-2(77-86)जविप्रा/2003/ 3431 दिनांकः 13-2-03

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
4.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
5.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6.	जिला कलैक्टर	जिला कार्यालय, जयपुर।
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
8.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक, जयपुर।
9.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
11.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12.	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13.	निदेशक अभियांत्रिकी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15.	निदेशक वित्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16.	निदेशक विधि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17.	अतिरिक्त आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18.	मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18.	अति.मुख्य अभियंता प्रवर्तन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	उपायुक्त, जोन-----	जयपुर विकाम प्राधिकरण, जयपुर।
20.	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	जन सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	अधिशासी अधिकारी प्रोटोकाल	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

-19-

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 86वीं बैठक दिनांक 31.01.03 को सांय 3.00 बजे डा0दिनेश कुमार गोयल जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य/अधिकारियों ने भाग लिया :-

क्र.सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पदनाम व विभाग	हस्ताक्षर
1.	S.A.A. [illegible]	D.S. UDH	[signature]
2.	R.R. Pandat	ADM City (S)	[signature]
3.	Umesh Tomar	Commissioner JNN (HQ)	[signature]
4.	PRAVEEN JAIN	Dy Town Planner, RIICO	[signature]
5.	SL. Mahipal	SE PWD Rep. CE PWD	[signature]
6.	S.C. SOHI	ACE, JDA	[signature]
7.	Shuchi Sharma	Addl. Com. (East)	[signature]
8.	Laxmi Berwa	Addl. Com. (Adm)	[signature]
9.	O.P. YADAV	Addl Comm (W)	[signature]
10.	R.P. Bhatnagar	S.E. P.H.ED. City Sp.	[signature]
11.	S.C. Mahagaonkar	Dir T.P. JDA	[signature]
12.	R.B. Gupta	Dir (E)	[signature]
13.	P R Sharma	Dir (F)	[signature]
14.	B.K. Sharma	Dy. Dir (Law)	[signature]
15.	Hemant Gera	Secy, JDA	[signature]
16.			
17.			
18			
19.			